भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS
नौवहन महानिदेशालय, मुंबई
DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI

फाइल नंबर: 20-19016/4/2023-प्रशिक्षण-नौमनि **दिनांक: 28.07.2023**

नौमनि परिपत्र संख्या 2023 का 19

विषय: यथासंशोधित एसटीसीडबल्यू 78 (2010 मनीला संशोधन) के अंतर्गत जारी मास्टरों और डैक अधिकारियों के नॉटिकल ग्रेड सक्षमता प्रमाणपत्र को पुन: मान्यता प्रदान किए जाने के लिए पुन: मान्यता दिए जाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम - संबंधी।

1. जबकि, निदेशालय ने वर्ष 2018 के नौमनि परिपत्र संख्या 01 दिनांक 13.02.2018 के माध्यम से कहा है कि जिन अभ्यर्थियों के पास एसटीसीडबल्यू 2010 संशोधनों के अंतर्गत जारी किए गए या अपग्रेड किए गए सक्षमता प्रमाणपत्र हैं उन्हें नॉटिकल शाखा के सक्षमता प्रमाण पत्रों को पुन: मान्यता प्रदान किए जाने के लिए अनिवार्यतया पुन: मान्यता प्रदान किए जाने संबंधी पाठ्यक्रम या पुनश्चर्या और अपडेटिंग ट्रेनिंग कोर्स (आरयूटी) करने की आवश्यकता नहीं है।

2. जबकि, निदेशालय ने पुन: मान्यता प्रदान किए जाने संबंधी पाठ्यक्रम के संबंध में नॉटिकल ग्रेड सक्षमता प्रमाणपत्रों को पुन: मान्यता दिए जाने हेतु यथापेक्षित रूप से पूर्व में जारी समस्त वापोप सूचनाओं और अन्य प्रशासनिक अनुदेशों के अधिक्रमण में वर्ष 2023 की वाणिज्य पोत परिवहन सूचना (वापोप सूचना) संख्या 07 जारी की है। इसके अलावा, निदेशालय ने उक्त वापोप सूचना के माध्यम से वापोप (एसटीसीडबल्यू) नियमावली 2014 के नियम 14 (1) (सी) के प्रावधानों के अनुसार नॉटिकल ग्रेड के समस्त सक्षमता प्रमाणपत्रों को पुन: मान्यता प्रदान किया जाना अनिवार्य किया है।

3. जबकि, निदेशालय ने वर्ष 2018 के इंजीनियर परिपत्र संख्या 143 के माध्यम से यथासंशोधित एसटीसीडबल्यू 78 (2010 मनीला संशोधन) के अंतर्गत जारी मरीन इंजीनियर अधिकारियों के सक्षमता प्रमाणपत्र को पुन: मान्यता प्रदान किए जाने हेतु पुनश्चर्या और अपडेटिंग पाठ्यक्रम' हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं। वे समस्त समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थान जो इस पाठ्यक्रम को आयोजित करना चाहते हैं वे पाठ्यक्रम अनुमोदन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें।

4. जबकि, वर्ष 2023 की वापोप सूचना संख्या 7 के अनुसार, उल्लेख किया जाता है कि, ''वे समस्त समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थान जिनके पास 'पुनश्चर्या और अपग्रेडिंग पाठ्क्रम' आयोजित करने हेतु

9वीं मंज़िल, बीटा बिल्डिंग, आई थिंक टेक्नो कैम्पस, कांजुर गाँव रोड, कांजुरमार्ग (पूर्व) मुंबई- 400042
9th Floor, BETA Building, I-Think Techno Campus, Kanjur Village Road, Kanjurmarg (E), Mumbai-400042
फ़ोन/Tel No.: +91-22-2575 2040/1/2/3 फ़ैक्स/Fax.: +91-22-2575 2029/35 ई-मेल/Email: dgship-dgs@nic.in वेबसाइट/Website: www.dgshipping.gov

अनुमोदन है उनसे अपेक्षा है कि वे मास्टर और डैक अधिकारियों के लिए, एसटीसीडबल्यू 1995 से एसटीसीडबल्यू 2010 संशोधनों में सीओसी को परिवर्तित करें, उन्हें मास्टरों और डैक अधिकारियों हेतु पुन: मान्यता प्रदान किए जाने संबंधी इस 3-दिवसीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के आयोजन हेतु अनुमोदित समझा जाएगा।

5. जबकि, निदेशालय को उन समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों से कई अनुरोध प्राप्त हुए हैं जो पहले 2018 तक नॉटिकल शाखा के सीओसी को पुन: मान्यता प्रदान किए जाने के लिए आरयूटी पाठ्यक्रम आयोजित किया करते थे लेकिन निदेशालय के नॉटिकल स्कंध द्वारा पाठ्यक्रम को बंद कर दिए जाने के कारण वर्ष 2016 के नौमनि आदेश संख्या 5 के अनुसार यह समाप्त हो गया।

6. जबकि, निदेशालय ने इस मामले की जांच की और पाया कि आज की तारीख में समस्त आरयूटी पाठ्यक्रमों के समाप्त हो जाने की वजह से एक भी एमआईटी के पास आरयूटी पाठ्यक्रम हेतु अनुमोदन नहीं है। अतिरिक्त रूप से, 24 घंटे की अवधि वाला यह एक नया 3 दिवसीय पाठ्यक्रम है।

7. जबकि, वर्ष 2023 की वाणिज्य पोत परिवहन सूचना (एमएस नोटिस) संख्या 07 दिनांक 14.06.2023 के माध्यम से नॉटिकल शाखा ने कहा है कि " मास्टरों तथा डैक अधिकारियों के सीओसी को पुन: मान्यता प्रदान किए जाने हेतु पुन: मान्यता प्रदान किए जाने के इस पाठ्यक्रम की अपेक्षाएं 1 अगस्त, 2023 से प्रवृत्त होंगी।" इसलिए, निदेशालय द्वारा यह निर्णय लिया गया कि:

i. पाठ्यक्रम के अनुमोदन हेतु एमटीआई को ऑनलाइन (नया) आवेदन करना होगा।

ii. निदेशालय एमटीआई द्वारा प्रस्तुत प्रलेखों के आधार पर अनुमोदन देगा, लेकिन संबंधित समुद्रीय वाणिज्य विभाग (एमएमडी) द्वारा इन समस्त प्रलेखों को छह मास की अवधि के भीतर यानी 31.01.2024 से पहले सत्यापित किया जाएगा।

iii. यदि कोई एमटीआई एमएमडी के निरीक्षण के बिना 31.01.2024 के बाद पाठ्यक्रम चलाता पाया गया तो वर्ष 2016 के नौमनि आदेश संख्या 5 के अंतर्गत यथा प्रस्तावित रूप से गंभीर कार्रवाई की जाएगी।

iv. ऊपर लिखे अनुसार पाठ्यक्रम को चलाने के लिए विहित समयसीमा के भीतर अनुपालन के उत्तरदायित्व का भार एमटीआई पर होगा। अत: यदि एमटीआई जारी किए गए दिशानिर्देशों का 100 प्रतिशत अनुपालन करता हो तो पाठ्यक्रम अनुमोदन हेतु ऑनलाइन आवेदन करे।

v. यह स्कीम 31.07.2023 तक मान्य रहेगी, उसके बाद इच्छुक एमटीआई को नियमित प्रक्रिया अपनानी होगी जिसमें आरयूटी के पाठ्यक्रम अनुमोदन हेतु ऑनलाइन आवेदन

करने के बाद, एमएमडी निरीक्षण की आवश्यकता होगी और पीओ, एमएमडी की संस्तुति के उपरांत ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन पर विचार किया जाएगा।

vi. पाठ्यक्रम हेतु पाठ्यक्रम कोड 1113 होगा और ऑनलाइन आवेदन हेतु प्रक्रिया शुल्क 75000/-रुपए मात्र होगा।

vii. आरयूटी पाठ्यक्रम हेतु ई-लर्निंग और एक्ज़िट एक्ज़ाम की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

viii. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

28/07/2023

(डॉ. पांडुरंग के. राउत)
उप नौवहन महानिदेशक (प्रशिक्षण)

प्रतिलिपि सेवा में,

1. समस्त एमटीआई
2. समस्त एमएमडी
3. ई-गवर्नेंस